International Journal of Education and Science Research Review
Volume-11, Issue-1 January-February-2024 E-ISSN 2348-6457
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Impact Factor - 7.02 Email- editor@ijesrr.org

प्राथमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रक्षित अध्यापकों की प्रशिक्षण अभिवृत्ति के विभिन्न मदों का तुलनात्मक अध्ययन (मेरठ जनपद के संदर्भ में)

➢ सचिन कुमार गुप्ता, शोधकर्ता, ग्लोकल स्कूल ऑफ एजुकेशन, द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, मिर्जापुर पोल, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)
➢ डॉ0 पूनम लता मिड्ढ़ा , (प्रोफेसर), शोध निर्देशिका, ग्लोकल स्कूल ऑफ एजुकेशन, द ग्लोकल यूनिवर्सिटी मिर्जापुर पोल, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)

सार–

शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा प्रणाली के मुख्य रूप से तीन पक्ष होते हैं– पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु, शिक्षक एवं शिक्षार्थी। इनमें से शिक्षक ही एक ऐसा पक्ष है जो पूरी शैक्षिक प्रक्रिया की धुरी है। बिना शिक्षक के न तो शिक्षार्थी को ही प्रेरित या उत्साहित किया जा सकता है और न ही पाठ्यवस्तु का सही रूप में प्रस्तुतीकरण किया जा सकता है। अतः शिक्षण की प्रक्रिया को सुधारने हेतु ऐसे उपायों की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है। जिनके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष शिक्षक को सुधारा जा सके। भारत में प्राथमिक शिक्षा ही प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है जिससे छात्र की आगे की शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होता है। इस कारण प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का उत्तरदायित्व काफी बढ़ जाता है। प्राथमिक स्तर के शिक्षक ही छात्रों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तथा शिक्षक ही विद्यार्थियों के आदर्श होते हैं। क्योंकि प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण भाग कहलाती है, जिसपर शिक्षा रूपी इमारत खड़ी होती है, इसलिए शोधकर्ता को यह जानने की जिज्ञासा हुई कि प्राथमिक स्तर जैसे महत्वपूर्ण स्तर पर शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक किस प्रकार कक्षा में अपने व्यवहार, ज्ञान, प्रशिक्षण कौशल एवं प्रशिक्षण तकनीकी का प्रयोग करते हैं जिसमें शिक्षक की प्रशिक्षण के प्रति अभिवृत्ति परिलक्षित होती हो तथा जो छात्रों की ज्ञान की आधारशिला सुदृढ़ करने में सहायक हो।

प्रस्तावना–

शिक्षा मनुष्य के आंतरिक गुणों के विकास करने की प्रक्रिया है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी अनेक सूक्तियाँ हैं जो शिक्षा के स्वरूप को पूर्णतः स्पष्ट करती हैं। जैसे 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' जिसका अर्थ है कि शिक्षा वह है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। विकास के इस युग में सभी एक दूसरे से अधिक समृद्धशाली बनने तथा उन्नति के पथ पर चलते हुए सफलता की ऊँचाइयों को छूने के लिए होड़ लगाये हुए हैं। हमारा भारतवर्ष भी प्रगति के इस पथ पर सतत् प्रयत्नशील है परन्तु सुदृढ़ प्रजातांत्रिक राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षित एवं योग्य नागरिकों की आवश्यकता होती है जो अपने कर्त्तव्यों और अधिकारों के प्रति पूर्णतया सजग हों। प्राचीन काल से ही शिक्षा को सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास, आर्थिक उन्नति व राजनैतिक चेतना के लिए सर्वोत्तम साधन माना गया है। प्लेटो ने भी 'आदर्श राष्ट्र' निर्माण के लिए शिक्षा को उपयुक्त साधन माना है। मार्शल जैसे अर्थशास्त्री भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए शिक्षा को ही प्रधानता देते हैं।

किसी भी राष्ट्र का जीवन उसकी शिक्षा प्रणाली द्वारा ही अनुप्रमाणित होकर जीवन प्राप्त करता है। प्राणवन्त

जीवन का मूलाधार प्राणवान शिक्षा प्रणाली है जो समाज तथा राष्ट्र के जीवन को गति देती है तथा समाज व राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करती है। शिक्षा ही जीवन प्रणाली का आधार होती है तथा मानव जीवन को उन्नति के शिखर पर पहुँचाती है। राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य की
शासन व्यवस्था में तत्परता, क्रियाशीलता, सक्षमता तथा उत्तरदायित्व की भावना को जन्म देने के लिए शिक्षा ही एक प्रशस्त साधन है। प्रायः किसी भी राष्ट्र के जीवन को समुन्नत करने के लिए शिक्षा से सम्बन्धित उक्त तथ्य आधार माने गये हैं। हमारे संविधान में कहा गया है–''राज्य इस संविधान के कार्यान्वित किये जाने के समय से दस वर्ष के अन्तर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष तक की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगी।'' परन्तु समाज को दिया गया यह विश्वास आज भी उतना पुराना है जितना कि संविधान निर्माण के समय था।
जिस प्रकार बालक के विकास क्रम में शैशवावस्था का महत्व सर्वाधिक होता है उसी प्रकार शिक्षा के औपचारिक क्रम में प्राथमिक शिक्षा का महत्व होता है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा वह प्रथम कड़ी है जिस पर कि आगामी शिक्षा की नींव रखी जाती है। अतः प्राथमिक शिक्षा का महत्व, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के आधार स्तम्भ के रूप में माना जाता है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने नवीन आशाओं, उच्च महत्वाकांक्षाओं एवं सुनहरे भविष्य की कल्पना करना आरम्भ कर दिया था। इनको सार्थक करने के लिए राष्ट्रनेताओं ने संविधान निर्माण के समय शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार को अधिक तीव्रगामी बनाने के लिए अनुच्छेद–45 की रचना की थी, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक व बालिकाओं को सार्वभौमिक शिक्षा देने का प्रावधान बनाया गया था जिससे कि देश का 6–14 वर्ष का कोई भी बालक प्राथमिक शिक्षा से वंचित न रहे।

अध्ययन के उद्देश्य–

- प्राथमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों की प्रशिक्षण अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- प्राथमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रक्षित अध्यापकों की प्रशिक्षण अभिवृत्ति के विभिन्न मदों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

सीमांकन–

प्रस्तुत शोध पत्र में केवल मेरठ जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित शिक्षकों को शामिल किया गया है।

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण :

आचार्य (1999) "प्राथमिक विद्यालय सर्वेक्षण कोलकाता" पर अध्ययन किया तथा अध्ययन के दौरान कोलकाता में एक जनपद में अपने अध्ययन में पाया कि विद्यालय प्रायः नियमित रूप से नहीं खुलते हैं, जिससे प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के प्रबन्ध या देख–रेख में उचित रूचि नही लेती है।
चटर्जी, भाष्कर एवं कुतुब, जॉन (2014) ने "ग्रामीण शिक्षा स्थित प्रहन्तियाँ सामयिकोमोनोग्राम परिप्रेक्ष्य" पर

अपना अध्ययन किया और पाया कि:–ग्रामीण समुदायों में स्थस्थ्य विकास यहाँ तक कि शैक्षिक कार्यक्रमों के अनुभवों से भी पता चलता है कि सफल क्रियान्वयन की पूँजी सहभागिता है अर्थात् सर्वशिक्षा अभियन के सफल क्रियान्वयन के लिये समुदाय एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों की सहभागिता आवश्यक है।

ऐक्शन फॉर स्कूल एडमिशन रिफोर्म, 'असर', (2011) के द्वारा सालाना स्थिति पर तैयार रिपोर्ट के अनुसार यह स्थिति पाई गयी की ग्रामीण क्षेत्रों मे स्कूलों में नामांकन दर तो 96.7 प्रतिशत तक पहुँच गई है पर उपस्थिति के मामले में यह बढ़त नहीं दिखती है। 2009–10 की स्थिति से तुलना करें तो स्कूलों मे पढ़ने पहुँचने वाले बच्चों का प्रतिशत 2010–11 में 73.4 से खिसक कर 70.9 पर आ गया है। रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के बच्चे 2009–10 में जहाँ कक्षा 1 से 5वीं में 19.81 थें वहीं यह आंकड़ा 2010–11 में घट कर 19.06 प्रतिशत हो गया। वहीं अनुसूचित जनजाति के बच्चे 2009–10 में जहाँ दाखिले की दृष्टि से 10. 93 प्रतिशत थे वहीं 2010–11 में यह आंकड़ा 10.70 प्रतिशत लुढ़क गया। अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों के दाखिले जहाँ 2009–10 में 42.15 प्रतिशत था वहीं 2010–11 में 40.09 प्रतिशत पर फिसल कर आ गया। साथ ही मुस्लिम वर्ग के बच्चों का दाखिला 13.48 प्रतिशत 2009–10 में दर्ज किया गया था वह भी 2010–11 में घट कर 13.04 प्रतिशत पर आ गया।

न्यादर्श :

प्रस्तुत शोध पत्र में मेरठ जनपद के 50 प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों को न्यादर्श के रूप में सम्मिलित किया गया है। प्रस्तुत समस्या अध्यापकों की प्रशिक्षण अभिवृत्ति से सम्बन्धित है इससे सम्बन्धित उचित तथ्यों एवं आंकडों की प्राप्ति के लिए शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित मापनी का प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत शोध पत्र में सांख्यिकीय गणना हेतु मध्यमान, मानक विचलन तथा टी–टेस्ट का प्रयोग किया गया है।

तालिका संख्या–1 अध्यापन व्यवसाय सम्बन्धी अभिवृत्ति

लिंग	प्रशिक्षित		अप्रशिक्षित		टी मूल्य
	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन	
पुरूष	40	2.3	37	1.4	3.53
महिला	38	3.05	39	1.8	1.09

प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित पुरूष अध्यापकों की अध्यापन व्यवसाय सम्बन्धी अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है। प्रशिक्षित पुरूष अध्यापकों का अध्यापन व्यवसाय सम्बन्धी दृष्टिकोण अप्रशिक्षित पुरूष अध्यापकों की तुलना में ज्यादा विकसित है। जबकि प्रशिक्षित महिला एवं अप्रशिक्षित महिला अध्यापकों की अध्यापन व्यवसाय सम्बन्धी अभिवृत्ति में महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या–2 कक्षा अध्यापन सम्बन्धी अभिवृत्ति

अध्यापक समूह			
लिंग	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	टी मूल्य

	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन	
पुरूष	39	3.02	36	2.06	2.60
महिला	38	2.01	36	1.04	3.45

प्रशिक्षित पुरूष एवं अप्रशिक्षित पुरूष अध्यापकों की कक्षा अध्यापन सम्बन्धी अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है। जबकि प्रशिक्षित महिला एवं अप्रशिक्षित महिला अध्यापकों की कक्षा अध्यापन सम्बन्धी अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है। अप्रशिक्षित महिला अध्यापकों की तुलना में प्रशिक्षित महिला अध्यापकों की कक्षा अध्यापन सम्बन्धी अभिवृत्ति ज्यादा विकसित है।

तालिका संख्या–3 छात्र केन्द्रित व्यवहारों से सम्बन्धित अभिवृत्ति

अध्यापक समूह					
लिंग	प्रशिक्षित		अप्रशिक्षित		टी मूल्य
	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन	
पुरूष	40	3.6	38	2.1	1.54
महिला	40	2.8	38	2.2	2.19

प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित पुरूष अध्यापकों की छात्र केन्द्रित व्यवहारों सम्बन्धी अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है। छात्र केन्द्रित व्यवहार के सम्बन्ध में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षत पुरूष अध्यापकों का समान दृष्टिकोण है। प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित महिला अध्यापकों की छात्र केन्द्रित व्यवहारों सम्बन्धी अभिवृत्ति में भी सार्थक अन्तर नही है। प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित महिला अध्यापकों की भी छात्रकेन्द्रित व्यवहार के सम्बन्ध में एक जैसा दृष्टिकोण है।

तालिका संख्या–4 शैक्षिक प्रक्रिया सम्बन्धी अभिवृत्ति

लिंग	प्रशिक्षित		अप्रशिक्षित		टी मूल्य
	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन	
पुरूष	41	2.9	38	1.45	2.94
महिला	42	2.85	40	2.77	1.96

प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित पुरूष अध्यापकों की शैक्षिक प्रक्रिया सम्बन्धी अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर पाया गया है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि प्रशिक्षित पुरूष अध्यापकों का शैक्षिक प्रक्रिया सम्बन्धी दृष्टिकोण अप्रशिक्षित पुरूष अध्यापकों की तुलना में ज्यादा विकसित है। जबकि प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित महिला अध्यापकों की शैक्षिक प्रक्रिया सम्बन्धी अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नही है। इसलिये यह कह सकते हैं कि प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित महिला अध्यापकों की इस सम्बन्ध में लगभग एक जैसा ही दृष्टिकोण है।

तालिका संख्या–5 छात्र सम्बन्धी अभिवृत्ति

लिंग	प्रशिक्षित		अप्रशिक्षित		टी मूल्य
	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन	
पुरूष	42	2.6	39	2.32	2.73
महिला	41	2.87	38	2.3	3.53

प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित पुरूष अध्यापकों की छात्र सम्बन्धी अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है। जबकि प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित महिला अध्यापकों की छात्र सम्बन्धी अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है। प्रशिक्षित महिला अध्यापकों का छात्र सम्बन्धी दृष्टिकोण अप्रशिक्षित महिला अध्यापकों की तुलना में ज्यादा विकसित है।

तालिका संख्या–6 अध्यापक सम्बन्धी अभिवृत्ति

लिंग	प्रशिक्षित		अप्रशिक्षित		टी मूल्य
	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन	
पुरूष	39	3.8	36	1.9	2.23
महिला	42	3.18	40	2.3	2

प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित पुरूष अध्यापकों की अध्यापक सम्बन्धी अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है। प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित महिला अध्यापकों की अध्यापक सम्बन्धी अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नही है। प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित महिला अध्यापक इस सम्बन्ध में समान दृष्टिकोण रखती है।

तालिका संख्या–7 प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों की अध्यापन व्यवसाय सम्बन्धी अभिवृत्ति

लिंग	प्रशिक्षित		अप्रशिक्षित		टी मूल्य
	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन	
अध्यापन व्यवसाय सम्बन्धी अभिवृत्ति	38.8	2.75	38.2	1.64	.95
कक्षा अध्यापन सम्बन्धी अभिवृत्ति	38.4	2.48	36	1.45	4.2
छात्र केन्द्रित व्यवहार सम्बन्धी अभिवृत्ति	40	3.1	38	2.16	2.67
शैक्षिक प्रक्रिया सम्बन्धी अभिवृत्ति	41.6	2.87	39.2	2.24	3.33
छात्र सम्बन्धी अभिवृत्ति	41.4	2.76	38.4	2.3	4.22
अध्यापक सम्बन्धी अभिवृत्ति	40.8	3.43	38.4	2.14	3

तालिका संख्या 7 के आँकड़ों से पता चलता है कि प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों की अध्यापन व्यवसाय सम्बन्धी अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है इसलिये पहली परिकल्पना स्वीकृत होती है। जबकि कक्षा अध्यापन सम्बन्धी अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है। इसलिये दूसरी परिकल्पना निरस्त होती है। प्रशिक्षित एवं

अप्रशिक्षित अध्यापकों की छात्र केन्द्रित व्यवहारों से सम्बन्धित अभिवृत्ति में महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है। इसलिये तीसरी परिकल्पना स्वीकृत होती है। प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों की शैक्षिक प्रक्रिया सम्बन्धी अभिवृत्ति में महत्वपूर्ण अन्तर है। इसलिये चौथी परिकल्पना निरस्त होती है। प्रशिक्षित अध्यापकों एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों की छात्र सम्बन्धी एवं अध्यापक सम्बन्धी अभिवृत्ति में भी सार्थक अन्तर है। इसलिये पांचवी एवं छठी परिकल्पना निरस्त होती है। उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण के अनुसार कहा जा सकता है कि प्रशिक्षित अध्यापकों की प्रशिक्षण अभिवृत्ति अप्रशिक्षित अध्यापकों की तुलना में अधिक विकसित है।

निष्कर्ष :

- प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों की अध्यापन व्यवसाय सम्बन्धी अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।
- प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों की कक्षाध्यापन सम्बन्धी अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है।
- प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों की छात्र केन्द्रित व्यवहारों सम्बन्धी अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।
- शैक्षिक प्रक्रिया सम्बन्धी अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है। प्रशिक्षित अध्यापकों का शैक्षिक प्रक्रिया सम्बन्धी दृष्टिकोण ज्यादा विकसित है।
- छात्र सम्बन्धी अभिवृत्ति में भी पर्याप्त सार्थक अन्तर है इस सम्बन्ध में अप्रशिक्षित अध्यापकों का दृष्टिकोण प्रशिक्षित अध्यापकों की तुलना में कम विकसित है।
- प्रशिक्षित अध्यापकों एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों की अध्यापक सम्बन्धी अभिवृत्ति में भी पर्याप्त अन्तर है।
- प्रशिक्षित अध्यापकों का शैक्षिक दृष्टिकोण अप्रशिक्षित अध्यापकों की तुलना में अधिक विकसित होता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची

- अग्रवाल, आर0एन0 (2010) : मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा–3 द्वितीय संस्करण, आधुनिक मापन तथा मूल्यांकन शारदा।
- गुप्ता एस0पी० (1995) : पुस्तक भवन यूनिवर्सिटी रोड इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान।
- गैरेट हेनरी ई० (2001) : शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी वकिल्सफिकर एण्ड सिमॉस लिमिटेड हेरा बिल्डिंग व स्प्राट रोड, वेलार्ड स्टेट मुम्बई 40038
- जायसवाल सीताराम (1995) : व्यक्तित्व का मनोविज्ञान नवीनतम संस्करण, विनोद पुस्तक प्रकाशन आगरा।
- पाठक पी0डी0 (1995) : भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा–2 13वाँ संशोधित संस्करण।
- भार्गव एम0 (2019) : आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मापन (1997), हर प्रसाद भार्गव शैक्षिक प्रकाशक कचहरी घाट, आगरा।
- एच0 के0 कपिल (2010) : अनुसंधान विधियाँ (व्यवहार परक विज्ञानों में) 11वाँ संस्करण 2001 एच0 पी0

भार्गव बुक हाऊस आगरा।

- शर्मा आर0ए0 (2017) : शिक्षा अनुसंधान के मूलतत्व एवं शोध प्रक्रिया, संस्करण 2011, आर0 लाल बुक डिपो मेरठ
- रमन बिहारी लाल एवं सुनीता पलोड (2005) : भारतीय शिक्षा का विकास, संस्करण 2012, आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ।
- भटनागर सुरेश (2020) : आधुनिक भारतीय शिक्षा और समस्यायें, आर0 लाल बुक डिपों मेरठ, सक्सेना एन० आर० स्वरूप।
- सुखिया पी0 बी0 मेहरोत्रा (2017) : शिक्षा के सिद्धान्त, लॉयल बुक डिपो, मेरठ, शैक्षिक अनुसंधान के मूलतत्व, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा।
- सिंह कुमार अमित एवं मिश्रा आर0पी0 (2019) : प्राथमिक स्तर के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों की प्रशिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन, जे0ई0टी0आई0आर0, वाल्यूम–6, इश्यू–5।